

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतालीस'

[ 16/12/2015 ]

प्रश्न सं. [ क. 1093 ]

प्रश्न - क

इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर							
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1093 अतारांकित, प्रश्नांश 'ग' की जानकारी							
अनुग्रह अनुदान	समूह बीमा कवच राशि	समूह बीमा योजना वर्ष 1985	समूह बीमा बचत निधि वर्ष 2003	जी.पी.एफ. महालेखाकार भोपाल द्वारा स्वीकृत	पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह	उपादान (रोज्यूटी)	अनुकम्पा अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25,000=00	2,50,000=00	34,775=00	24,200=00	3,38,025=00	6,340=00	3,19,219=00	आश्रित सदस्य द्वारा दि. 10.03.2014 को प्रस्तुत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी आवेदन के परिशिष्ट में कार्यपालन यंत्री संधारण खण्ड उच्चजैन द्वारा पत्र क्र. 1379 दि. 10.03.2014 से आश्रित सदस्य को अवगत कराया गया कि कार्यभारिता स्थापना के कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं है, अपितु अनुकम्पा अनुदान को पात्रता है। अतः वे कार्यलय में उपस्थित होकर अनुकम्पा अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु औपचारिकता पूर्ण करें, परन्तु इस संबंध में आश्रित सदस्य द्वारा आज दिनांक तक न कोई आवेदन प्रस्तुत किया नही कार्यलय में संपर्क किया गया जिसके कारण अनुकम्पा अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो सका है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

परिशिष्ट

*Sumner*  
सो. स्था. वि. वि. इन्दौर परिक्षेत्र

मुख्य अधिकारी,  
सो. स्था. वि. वि. इन्दौर परिक्षेत्र

VSO 1093 unstar B-(Winter)

Date 1

C.E. Pay - 0131-2536575

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो. स्वा. यां. संधारण खण्ड नगर पालिक निगम,  
उज्जैन (म. प्र.)

क्रमांक :-  
प्रति.

/का. यं./का.भा.स्थापना/2011

उज्जैन, दिनांक

श्री/श्रीमती हेमन्त पिता हरिशोम शर्मा

क. दुर्गा नगर काकोती, नगर कोट मंदिर के पास

सिद्धा उज्जैन

विषय :- अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने शकत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 10.03.2014

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में सूचित किया जाता है, कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रं. 3-4/1/3/08 दिनांक 18.08.2008 के अनुसार कार्यभारित्र आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। परन्तु ज्ञापन क्रं.-सी/3-17/2009/1/3/दिनांक 01.07.2010 से उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त 1,25,000/- (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जावेगी।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। आप इस कार्यालय में उपस्थित होकर अनुकंपा अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु औपचारिकता पूर्ण करें।

पृ. क्रमांक :-

1379-80

प्रतिलिपि :-

/का. यं./का.भा.स्थापना/2011

कार्यपालन यंत्री  
लो. स्वा. यां. संधारण खण्ड  
नगर पालिक निगम, उज्जैन  
उज्जैन, दिनांक

1. अधीक्षण यंत्री, लो. स्वा. यां. विभाग उज्जैन मण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री  
लो. स्वा. यां. संधारण खण्ड  
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यां. संधारण खण्ड  
नगर पालिक निगम उज्जैन

क्रं. 6409 / का.यं. / स्था. / 2015

उज्जैन / दिनांक :- 02/12/2015

प्रति,

मुख्य अभियंता  
लोक स्वा.यां. विभाग इन्दौर  
परि.इन्दौर

विषय:- अनुकम्पा अनुदान राशि के संबंध में ।  
संदर्भ:- आपके द्वारा आज दिनांक 2-12-2015 को दिये गये निर्देशानुसार एवं विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1093 अतारंकित ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यभारित निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1379 दिनांक 10-3-2014 द्वारा मृतक कर्मचारी श्री हरिओम शर्मा के पुत्र श्री हेमन्त शर्मा को अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर अनुकम्पा अनुदान की राशि की पात्रता होने से एक मुश्त राशि दिये जाने के संबंध में अवगत कराया था किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर अनुकम्पा अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है ।

पृ.क्र. 6410 / का.यं. / स्था. / 2015

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वा.यां. संधारण खण्ड  
नगर पालिक निगम उज्जैन  
उज्जैन / दिनांक :- 02/12/2015

प्रतिलिपि :- 1. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उज्जैन मण्डल उज्जैन की  
और सूचनार्थ प्रेषित ।

CS  
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
लो. स्वा. यां. वि. भोपाल

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वा.यां. संधारण खण्ड  
नगर पालिक निगम उज्जैन